''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिताई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''क्र्स्तीसगढ/दुर्ग/०१/2012-2015.''

# हण्लीसगढ़ राजपत

## (असाधारण)

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

रायपुर, बुधवार, विनांक 23 जुलाई 2014-- श्रावण 1, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2014/18. — उत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रदेश शनितयों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एसवृहारा पूर्व अधिसूचित नगरपालिका परिषद्, धमतरी के स्थान घर नगर पालिक निगम, धमतरी का गठन निम्न अनुसूची के अनुसार करता है -

## अनुसूची---1

नगर पालिक निगम, धमतरी का विवरण निमानुसार है:-

a	नगर पालिक निगम का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
120		mail

अनुसूची—2

नगर पातिक निगम, धमतरी की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगर पालिका धमतरी की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, धमतरी की सीमाएं होंगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, एम. एम. पिंज, उप-सचिव.

## SCHEDULE 2

The boundries of the Municipal Corporation, Birgaon is as below :-

The boundaries of existing Municipal Council, Birgaon shall be the boundries of Municipal Corporation, Birgaon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarls.

M. M. MINJ, Deputy Scoretary.



## रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

## अधिस्चना

क्रभांक एफ 1-11/2014/18. — छत्तीसगढ्नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व अधिसृचित नगरपालिका परिषद, बीरगांव के स्थान पर नगर पालिक निगम, बीरगांव का गठन निग्न अनुस्ची के अनुसार

## अनुसूची—1

नगर पालिक निगम, बीरमांच का विवरण विस्नानुसार है :-

sh.	नगर पालिक जिगम का नाम					जिला	
(1)		(2)				(3)	
1.		बीरगांच	3 .		202	रायपुर	

नगर पालिक निगम, बीरगांव की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगरपालिका परिषद्, बीरगांव की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, बीरगांव की सीमाएं होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एक, एक, किंज, उप-सचिव,

## रायपुर, विनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2014/18 विनाम 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतव्हारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसमद् के राज्यपात के नाम से तथा आदेशानुसार, एवा, एवा, विंजा, उप-सचित.

#### Raipur, the 22nd July 2014

## NOTHICATION

No. F 1-11/2014/18 - In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby constitute Municipal Corporation, Birgaon, in place of Municipal Council, Birgaon as given in the following Schedule :-

#### SCHEDULE-1

No. Name of Municipal Corporation		District	
(1)	(2)	(3)	
1.	Birgaon	Raipur	

## राधपुर, विनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/18 ---- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1)/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपात के नाम से तथा आवेशानुसार, एस. एस. सिंक, उप-सचित्र •

#### Raipur, the 22nd July 2014

## NOTIFICATION

No. F 1-11/2014/18. — In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby constitute Municipal Corporation Dhamtari, in place of Municipal Council Dhamtari as given in the following Schedule:-

S. No.		Name of Municipal C	orporation	District	
(1)		. (2)		(3)	
	THE RESERVE		100		
1.		Dhaintari		Dhamfari	_
			1	E-William E	

The boundries of the Municipal Corporation, Dhamtari is as below :-

The boundaries of existing Municipal Council Dhamtari shall be the boundaries of Municipal Corporation, Dhamtari.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, M. M. MINJ, Deputy Secretary.